यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.)-5 राज्य कर, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उपायुक्त (क.नि.)-5 राज्य कर, देहरादून के माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव एवं श्री अंशुमान अग्रवाल सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं आशीष पाण्डेय व.ले.प. द्वारा दिनांक 15.07.2020 से 28.07.2020 तक श्री आई. के. जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के आंशिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1 परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री गोविंद कुमार सिंह एवं श्री अरविंद कुमार उपाध्याय सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों तथा श्री चन्द्र मोहन सिंह रावत सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक 29.07.2020 से 06.08.2020 तक श्री राज कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे संपादित की गयी थी। जिसमे राजस्व हेतु माह 04/2018 से 03/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी एवं व्यय हेतु माह 04/2018 से 03/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गई थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक तथा व्यय हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः -**

(ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	**अर्जित राजस्व (₹ लाख मे)**
2017-18	11421.19
2018-19	-
2019-20	10207.75

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत

हैः (₹ लाख में)

वर्ष	**Plan**		**Non plan**		**अधिक्य (+)**	**बचत (-)**
	आवंटन	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
शून्य						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष ₹	प्राप्त ₹	व्यय अधिक्य (+)₹	बचत (-)₹
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन राजस्व प्राप्ति के आधार पर इकाई "A" श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, वित्त **>** आयुक्त कर, वाणिज्य कर**>** ज्वाइंट कमिश्नर, वाणिज्य कर**>** डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर**>** सहायक आयुक्त , वाणिज्य कर**>** वाणिज्य कर अधिकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.)-5 राज्य कर, देहरादून** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.)-5 राज्य कर, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

राजस्व: 12/2019 विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: ------- (व्यय) को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) **योजना का चयन :-** कोई नहीं।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व का लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)
शून्य

भाग-II (ब)

प्रस्तर-1 कर के न्यूनारोपण से राजस्व क्षति ₹14.36 लाख

प्रस्तर-2 अधिनियम में प्रावधानित धाराओं के अनुरुप रु0 10.99 लाख का कर एवं अर्थदण्ड आरोपित न किया जाना।

प्रस्तर-3 कर निर्धारण में ब्यौहारी को रु0 40,000 का अनुचित लाभ दिया जाना।

प्रस्तर- 4 देय कर के विलंब से जमा किए जाने पर अर्थदण्ड ₹ 5.57 लाख का अनारोपण।

व्यय की लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)
शून्य

भाग-II (ब)
शून्य

भाग–II 'ब'

प्रस्तर-01 कर के न्यूनारोपण से राजस्व क्षति ₹14.36 लाख

उत्तराखंड शासन की अधिसूचना सं0 102/XXXXVI(3)/2015/22(1)/2015 दिनांक 31/03/2015 के द्वारा उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 मे संशोधन धारा 4 की उपधारा (7) मे (दो) मे विद्यमान उपधारा (7) के खंड (क) तथा उसके परंतुक मे प्रयुक्त शब्द '2 प्रतिशत की दर से' के स्थान पर शब्द '3 प्रतिशत की दर से' रख दिया जाएगा। यह तुरंत प्रवृत होगा।

कार्यालय उपायुक्त (क0नि0)-05 राज्य कर देहरादून के अभिलेखों की नमूना जांच मे पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री ई विजन देहरादून टिन सं0 05005655125 के द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2015-16 मे कुल ₹ 338,91,70,037 की बिक्री घोषित की गयी है। उक्त बिक्री मे फार्म -11 के सापेक्ष ₹ 14,36,58,896 की बिक्री 2 प्रतिशत की दर से किया जाना स्वीकार किया गया था। जिसे कर निर्धारण के समय स्वीकार किया गया था। जबकि अधिसूचना स0 102/XXXXVI(3)/ 2015/22(1)/2015 दिनांक 31/03/2015 के द्वारा उक्त बिक्री पर 3 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय था। अतः उक्त बिक्री पर कर के अंतर (3प्रतिशत -2प्रतिशत =1प्रतिशत) की धनराशि ₹ 14,36,589 (₹ 14,36,58,896 x 1 प्रतिशत) का अतिरिक्त कर आरोपणीय था एवं इस पर नियमानुसार ब्याज भी देय था।

उक्त को इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि व्यापारी द्वारा धारा-30 का प्रार्थना पत्र स्वयं प्रस्तुत किया गया, जिसकी जांचोपरांत ₹ 14,36,589 को अधिक जमा कर मे समायोजित किया गया। (आदेश संलग्न)

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योकि धारा 30 के आदेश दिनांक 31.07.2020 मे शेष आदेश यथावत रखा गया था। जबकि पूर्व मे केंद्रीय आदेश मे प्रांतीय मूल कर निर्धारण आदेश की अधिक जमा धनराशि ₹ 1,92,89,004 समायोजित किया गया था। जिसके उपरांत ₹ 24,35,397 की मांग सृजित की गयी थी जिसे व्यापारी द्वारा देय ब्याज सहित जमा कराया जाना था। इस प्रकार ₹ 38,71,986 (₹ 14,36,589 + ₹ 24,35,397) की मांग सृजित होती है। व्यापारी द्वारा धारा 30 का प्रार्थना पत्र लेखापरीक्षा के बाद दिनांक 28.07.2020 को दाखिल किया गया था एवं व्यापारी द्वारा मांग की धनराशि ब्याज सहित जमा नहीं कराया गया था।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–2 अधिनियम में प्रावधानित धाराओं के अनुरुप रु0 10.99 लाख का कर एवं अर्थदण्ड आरोपित न किया जाना।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 4(7) (a) के अनुसार यदि कोई करादेय सामग्री किसी ब्यौहारी द्वारा किसी अन्य ब्यौहारी को विक्रय की जाती है और ऐसा अन्य ब्यौहारी विक्रेता ब्यौहारी को नियत प्रपत्र में और रीति से इस आशय का एक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करता है कि उसके पास उसके सम्बन्ध में खण्ड (ख) के अधीन जारी किया गया मान्यता प्राप्त प्रमाण–पत्र है, तो विक्रेता ब्यौहारी ऐसे सामग्री के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट की गई शर्तों और निर्बधनों, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में इस निमित्त अधिसूचित किया गया है, के अधीन रहते हुए कर का देनदार होगा। पुनः धारा (7) (ड) के अनुसार किसी ब्यौहारी ने, जिसके पक्ष में खण्ड (ख) के अधीन मान्यता प्रमाण–पत्र दिया गया हो, इस उपधारा के अधीन रियायती दर पर कर का भुगतान किए बिना सामग्री क्रय की हो, और ऐसे कच्चे सामान या प्रसंस्कृत सामग्री से निर्मित सामान या ऐसी संवेष्ठन सामग्री के साथ पैक किए जाने के पश्चात् निर्मित सामग्री राज्य के भीतर या अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान या भारत के क्षेत्र के बाहर निर्यात के दौरान विक्रय से भिन्न रीति से बेचा या निस्तारित किया जाता है तो ऐसा ब्यौहारी स्टॉक स्थान्तरण या इस प्रकार के संब्यवहार की धनराशि के 2 प्रतिशत के बराबर धनराशि का देनदार होगा।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 63 के अनुसार जो व्यक्ति इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गये नियमों के किसी उपबन्ध के अधीन विहित कोई ऐसा मिथ्या या गलत प्रमाण–पत्र या घोषणा पत्र किसी अन्य व्यक्ति को जारी करता है, जिसके कारण ऐसे अन्य व्यक्ति के साथ या उसके द्वारा किए गये क्रय या विक्रय के संब्यवहार पर इस अधिनियम के अधीन कोई कर आरोपणीय नहीं रह जाता है या रियायती दर पर आरोपणीय हो जाता है, तो वह ऐसे संब्यवहार पर ऐसी धनराशि का दायी होगा जो ऐसे संब्यवहार पर देय होती है, यदि ऐसा प्रमाण–पत्र या घोषणा–पत्र जारी न किया गया होता। इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्टीकरण है कि यदि प्रमाण–पत्र या घोषणा–पत्र जारी करने वाला व्यक्ति उसमें अपना यह अभिप्राय प्रकट करे कि वह अपने द्वारा क्रय किए सामग्री का उपयोग ऐसे प्रयोजन के लिए करेगा जिससे कोई कर देय न होगा या रियायती दर पर देय होगा, किन्तु उसका उपयोग ऐसे प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए करे, या प्रमाण–पत्र या घोषणा–पत्र को इस धारा के प्रयोजन के लिए गलत समझा जाएगा। पुनः धारा 58 (1) (xxix) के अनुसार अधिनियम के अधीन कोई गलत प्रमाण–पत्र/घोषणा–पत्र प्रस्तुत करने पर सामग्री के मूल्य का 40 प्रतिशत अथवा देय कर का तीन गुना तक, जो भी अधिक हो, अर्थदण्ड देय होगा।

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण–05), राज्य कर, देहरादून के कर निर्धारण से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री व्हीजल लैबोरेट्रीज प्रा0लि0, देहरादून द्वारा वर्ष 2014–15 में फॉर्म–XI का प्रयोग करते हुए प्रान्त के भीतर रु0 24,43,264 का कच्चा सामान रियायती दर से क्रय किया गया तथा वर्ष के दौरान उक्त सामग्री का प्रयोग करके रु0 6,02,84,611 के निर्मित सामग्री का स्टॉक हस्तान्तरण किया गया। व्यौहारी के रियायती दर पर सामग्री का क्रय कर प्रदेश के बाहर स्थान्तरण किए जाने पर अधिनियम में प्रावधानित धाराओं के अनुरुप कर का निर्धारण किया जाना चाहिए था, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धाराओं की अनदेखी कर रु0 10.99 लाख[1] का कर एवं अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर उपायुक्त ने अपने उत्तर में बताया कि जॉचोपरान्त आवश्यक **कार्यवाही** की जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि **पत्रावली में साक्ष्य स्वरुप निर्माण खाता उपलब्ध नही था जो कि अपेक्षित था इसके अतिरिक्त** कर निर्धारण के समय अधिनियम की धाराओं के अनुरुप ही **कार्यवाही** की जानी चाहिए थी।

अतः अधिनियम में प्रावधानित धाराओं के अनुरुप रु0 10.99 लाख का कर एवं अर्थदण्ड आरोपित न किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

[1] धारा 4 (7) (ड) के अनुसार रु0 48,865 (24,43,264 x 2%), धारा 63 के अनुसार रु0 73,298 (24,43,264 x 3%) तथा धारा 58 (1) (xxix) के अनुसार रु0 9,77,306 (24,43,264 x 40%) का अर्थदण्ड।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–3 कर निर्धारण में ब्यौहारी को रु0 40,000 का अनुचित लाभ दिया जाना।

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 6 क (1) के अनुसार जहॉ कोई ब्यौहारी यह दावा करता है कि वह किसी सामग्री के अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन कर देने का जिम्मेदार इस आधार पर नहीं है कि एक राज्य से अन्य राज्य को ऐसे सामग्री का संचलन उसके द्वारा यथास्थिति उसके कारोबार के किसी अन्य स्थान को या उसके अभिकर्ता या मालिक को ऐसे सामग्री के अन्तरण के कारण न कि विक्रय के कारण हुआ था, वहॉ यह सिद्व करने का भार कि उस सामग्री का संचलन इस भांति हुआ था, ब्यौहारी पर होगा और इस प्रयोजन के लिए वह यथास्थिति कारोबार के अन्य स्थान के प्रधान अधिकारी या उसके अभिकर्ता या मालिक द्वारा सम्यक रुप से भरी गयी और हस्तान्तरित घोषणा जिसमें विहित विशिष्टियॉ विहित प्राधिकारी से अभिप्राप्त विहित प्रारुप में हो, जिसे वह अधिकारी पर्याप्त हेतुक के आधार पर अनुज्ञात करे, ऐसे सामग्री के भेजने के साक्ष्य के साथ दे सकेगा और यदि ब्यौहारी ऐसा करने में असफल रहता है तो ऐसे सामग्री के संचलन को इस अधिनियम के सभी प्रयोजनों के लिए विक्रय के परिणामस्वरुप किया गया माना जाएगा।

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण–05), राज्य कर, देहरादून के कर निर्धारण से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री व्हीजल लैबोरेट्रीज प्रा0लि0, देहरादून द्वारा वर्ष 2014–15 में फार्म–एफ के सापेक्ष रु0 6,02,84,611.00 की सामग्री स्थान्तरित की गई। फार्म–एफ की दाखिल सूची एवं मूल फार्म–एफ के मिलान में पाया गया कि ब्यौहारी ने फार्म–एफ संख्या 0114723 द्वारा रु0 20,00,808.16 की सामग्री स्टॉक स्थान्तरण की गई परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण करते समय उक्त सामग्री का मूल्य रु0 20,00,808.16 के विपरीत रु0 28,00,808.16 मानते हुए ब्यौहारी को रु0 8,00,000 का अधिक लाभ दिया गया। नियमानुसार अधिक लाभ दिए गये रु0 8,00,000 पर 5 प्रतिशत की दर से रु0 40,000 का कर आरोपित किया जाना चाहिए था परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा फार्म–एफ की वास्तविक धनराशि के आधार पर कर का निर्धारण नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरुप ब्यौहारी को न केवल रु0 40,000 का अधिक लाभ पहुॅचाया गया अपितु नियमानुसार उक्त राशि पर ब्याज भी देय होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर उपायुक्त ने अपने उत्तर में बताया कि जॉचोपरान्त आवश्यक **कार्यवाही** की जाएगी।

अतः कर निर्धारण में ब्यौहारी को रु0 40,000 के अनुचित लाभ दिए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर- 4 देय कर के विलंब से जमा किए जाने पर अर्थदण्ड ₹ 5.57 लाख का अनारोपण।

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर नियमावली 2005 के नियम-11 में यह प्रावधान किया गया है कि कोई व्यापारी जिसका पूर्ववर्ती वर्ष में सकल आवर्त ` 50 लाख से अधिक है, उसे अगले माह की 20 तारीख तक देय कर का भुगतान करना है एवं जिसका सकल आवर्त ₹ 50 लाख तक है, उसे अगले त्रैमास के प्रथम माह की 20 तारीख तक देय कर का भुगतान करना है ।

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा-58(1)(**VII**vii) के अंतर्गत यदि किसी व्यौहारी ने युक्तियुक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबंधो के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर राजकोष में जमा नहीं किया है तो वह अर्थदण्ड के रूप में देय कर का कम से कम 10% किन्तु अधिक से अधिक 25% यदि कर 10 हज़ार रूपए तक हो और देय कर का 50% यदि कर 10 हजार रूपए से अधिक हो का दायी होगा **(दिनांक 31.03.2015 से पूर्व)**, यदि विलंब 01 माह तक हो तो देय कर का 5% का दायी होगा।**(दिनांक 31.03.2015 से)**; यदि विलंब 01 माह से अधिक हो एवं देय कर रु0 20 हज़ार रूपए तक हो तो वह देय कर का कम से कम 10% एवं अधिक से अधिक 20% और यदि विलंब 01 माह से अधिक हो एवं देय कर रु0 20 हज़ार रूपए से अधिक हो तो वह देय कर का कम से कम 20% एवं अधिक से अधिक 30% का दायी होगा **(दिनांक 31.03.2015 से)।**

कार्यालय उपायुक्त(कर निर्धारण)-05 राज्य कर, देहरादून के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि दो व्यापारियो द्वारा विभिन्न माहों में देय कर की राशि ₹ 36,39,150/- को विलंब से जमा किया गया था| अत: विलम्ब से जमा कर की राशि पर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नियामानुसार न्यूनतम ₹ 5,56,959/- का अर्थदण्ड आरोपणीय था जिसे आरोपित नहीं किया गया था **(संलग्नक)**।

इस विषय में इंगित किए जाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने उत्तर दिया कि पत्रावली की जांच कर अवगत कराया जाएगा।

अतः, देय कर के विलंब से जमा किए जाने पर अर्थदण्ड ₹ 5,56,959/- के अनारोपण का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

क्रम सं	व्यापारी का नाम (सर्वश्री)	TIN सं	कर निर्धारण वर्ष	माह/त्रैमास	कर जमा करने की अपेक्षित तिथि	कर जमा करने की तिथि	कर की राशि	अर्थदण्ड की दर (%)	आरोपणीय अर्थदण्ड की राशि
1	सर्वश्री ई-विजन	05005655125	2015-16		20.01.2016	02.03.2016	500000	20	100000
					20.01.2016	03.03.2016	500000	20	100000
					20.01.2016	08.03.2016	1000000	20	200000
				Q3	20.01.2016	08.03.2016	500000	20	100000
2	सर्वश्री राजस्थान मार्बल्स, सहस्त्रधारा रोड, देहारादून	05001103497	2015-16	12/2015	20.01.2016	25.01.2016	224750	05	11238
			2016-17	07/2016	20.08.2016	23.08.2016	439550	05	21978
				10/2016	20.11.2016	24.11.2016	459550	05	22978
				Q4	20.04.2017	02.05.2017	15300	05	765
	कुल						**₹3639150**		**₹556959**

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-III 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-III 'ब' प्रस्तर संख्या	नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
RS/CT-56/2018-19	01	01	-
RS/CT-38/2008-09	01	02	-
RS/CT-36/2009-10	01	01,02,04,05	-
RS/CT-01/2013-14	-	02,04,06	-
RS/CT-41/2014-15	-	01,02,03	-
RS/CT-20/2015-16	-	01,02,03,04	-
RS/CT-28/2016-17	01,02	01,02,03,04,05,06,07,08	-
RS/CT-46/2017-18	01	01	-
RS/CT-46/2019-20	01	01	STAN 01

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.)-5 राज्य कर, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**

   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री मनीष मिश्रा	उपायुक्त (01.04.2019 से 16.09.2019
(ii)	श्रीमती मनीषा सैनी	उपायुक्त (17.09.2019 से वर्तमान तक)

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-IV